PIB DECEMBER (http://gshindi.com/)

GS PAPER I

1. दिव्यांग : अधिकार आधारित सशक्तिकरण-:

Differently abled population in India

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़)2.21 प्रतिशतदिव्यांगजन हैं (, लेकिन कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हमारी आबादी का 5 प्रतिशत अधिक हो सकती है।

Government schemes and Programme for disabled:

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगजनों के प्रति दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है। सरकार ने भी अब दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार आधारित आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है।

- 3 दिसंबरअंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। -
- भारत में 1995 के दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम समान अवसर), अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण सहभागिता लागू होने के साथ ही उनके अधिकार आधारित आर्थिक सशक्तिकरण के लिए (पहला कदम बढ़ाया गया है। भारत का दूसरा कदम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त स्वीकार करना है। राज्यसभा में एक (डी.पी.आर.सी.एन.यू) राष्ट्र समझौतानया विधेयक पेश किया गया है, जिसमें इस प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रावधान है। इस विधेयक को अभी संसद से मंजूरी मिलनी है।

दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु प्रयास -:

सुगम्य भारत अभियान-:

- यह अभियान लगभग एक वर्ष पहले 15 दिसंबर को शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य सक्षम और बाधारहित वातावरण तैयार कर दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता उपलब्ध कराना है।
- इसे तीन उद्देश्योंतैयार वातावरण में सुगम्यता -, परिवहन प्रणाली में सुगम्यता और ज्ञान तथा आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंच पर केंद्रित किया गया है।

दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, 2014:-

- यह 1995 के अधिनियम का स्थान लेगा।
- इस विधेयक में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं की कई मांगों को शामिल करने का प्रावधान है।
- इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में कानून के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुगम्यता को अनिवार्य करना, प्रस्तावित लाभार्थी श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 19 करना, कम से कम 40 प्रतिशत विक्लांगता वाले व्यक्तियों को भी कुछ लाभ की पात्रता देना शामिल है।
- इसमें सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों और परिवहन के साधनों, मतदान केंद्रों आदि स्थानों पर दिव्यांगों के अनुकूल सुगम्यता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।
- इस विधेयक के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना कानून के अंतर्गत दंडनीय है। इसके अलावा प्रस्तावित कानून के जरिए सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के कई उपाय किए हैं।

सुगम्य पुस्तकालय-:

- सरकार ने इस वर्ष अगस्त में एक ऑनलाइन मंच"सुगम्य पुस्तकालयका शुभारंभ किया ", जहां दिव्यांगजन बटन क्लिक करते ही पुस्तकालय की किताबें पा सकते हैं।
- दिव्यांग व्यक्ति अपनी पंसद के किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, कम्प्यूटर, डैजी प्लेयर यहां तक की ब्रेल डिस्पले पर ब्रेल लिपि में भी कोई प्रकाशन पड़ सकते हैं।
- ब्रेल प्रेस वाले संगठन के सदस्य के जरिए ब्रेल लिपि में भी प्रति के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

यूडीआईडी कार्ड-:

GENERAL STUDIES HINDI

- सरकार ने वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान कार्ड शुरू करने का प्रस्ताव (यूडीआईडी) किया है। इस पहल से दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी और अलगअलग कार्यों के लिए कई प्रमाण पत्र साथ रखने की परेशानी दूर होगी-, क्योंकि दिव्यांग का प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

छात्रवृत्ति योजना-:

सरकार ने मैट्रिक के पहले)46000 स्लॉट्स(, मैट्रिक के बाद)16650 स्लॉट्स और उच्च स्तरीय ( ) शिक्षा100 स्लॉट्सपाने के इच्छुक छात्रों के लिए भी योजना शुरू की है। (

स्वावलंबन-:

दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए पिछले वर्ष एक राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारंभ किया गया। एनएसडीसी के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अगले तीन वर्षों पहले वर्ष में एक लाख), दूसरे वर्ष में डेढ़ लाख और तीसरे वर्ष में ढ़ाई लाख में पांच लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण (देने का महत्वकांक्षी लक्ष्य तय करने का प्रस्ताव किया है। कार्य योजना का उद्देश्य 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण देना है।

सामाजिक अधिकारिता शिविर-:

विभाग दिव्यांगजनों को सहायता और उपकरण वितरित करने के लिए शिविर आयोजित करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सितंबर में गुजरात में आयोजित ऐसे एक शिविर में 11 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए। देश भर के दूरदराज के इलाकों म-ें रहने वाले दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इसी प्रकार के शिविर आयोजित किए गए।

चिंता के क्षेत्र (Some cause of concern) ----:

- दिव्यांगजनों के लिए पहले कानून के एक दशक से भी अधिक गुजर जाने और समय समय पर-विशेष भर्ती अभियान के बावजूद सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षित सीटों में से लगभग एक प्रतिशत भर्तियां ही हो पाई हैं और यह बात सरकार ने स्वयं स्वीकार की है।
- 14,000 से अधिक चिन्हित पदों पर अभी भी भर्तियां होनी शेष है। लगभग 10,000 नेत्रहीनों के लिए आरक्षित सीटें भरी जानी है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2011 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अभी भी 73 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन श्रमशक्ति से बाहर हैं और मानसिक रूप से विक्लांग, दिव्यांग महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सबसे अधिक उपेक्षित हैं।
- सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने के लिए कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं।

आशाएं और आकांक्षाएं----:

पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू की गई कई योजनाओं और कार्यक्रमों की तेजी से समावेशी और न्यायसंगत विश्व बनाने की परिकल्पना साकार हो सकती है।

GS PAPER II

1. रेल मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आईआरसीटीसी की ई-केटरिंग सेवाओं के जरिये स्थानीय व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए स्वयं सहायता समूहों की सेवाएं लेगा

- स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण कदम के तहत रेल (एसएचजी)मंत्रालय ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के जरिये स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये जाने वाले क्षेत्रीय (एसएचजी) व्यंजन उत्पादों को आईआरसीटीसी के ई-केटरिंग सेवा प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को उपलब्ध कराने के लिए एसएचजी की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है

- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से आईआरसीटीसी ने कोंकण क्षेत्र में मैविम अर्थात महिला आर्थिक विकास महामंडल और ल्यूपिन मानव कल्याण शोध फाउंडेशन द्वारा गठित किये गये एसएचजी से हाथ मिलाया है, ताकि उसकी ईकेटरिंग सेवा-, जो 'फूड ऑन ट्रैक' के नाम से जानी जाती है, के जरिए ट्रेन यात्रियों की सीट पर ही स्वादिष्ट कोंकणी व्यंजन सुलभ कराये जा सकें।

A measure towards cashless economy in rural areas:

यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ग्रामीण आबादी का एकीकरण ई केटरिंग सेवा के-जरिये **नकद रहित (कैशलेस(लेनदेन**- प्रणाली से संभव हो पाएगा, जिसके तहत इन एसएचजी की सेवाओं के लिए किए जाने वाले भुगतान को सीधे उनके खातों में ऑनलाइन भुगतान के जरिये डाला जा सकेगा। यह न केवल प्रौद्योगिकी के जरिये उपलब्ध कराई जाने वाली एक यात्री अनुकूल कदम है, बल्कि इससे एसएचजी को भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।

What is NABARD (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)

- कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में, योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए NABARD भारत का शीर्ष वित्त संस्था है ।
- नाबार्ड की स्थापना अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी ₹100 करोड़ से की गयी जिसका अंशदान भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने समान रूप से किया भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व . बैंक व्दारा प्रदत्त अंशपूंजी के अनुपात में संशोधन के उपरान्त31 मार्च 2015 को प्रदत्त पूंजी ₹ 5,000 करोड़ हो गयी जिसमें 99.60% (₹4,980 करोड़ का अंश भारत सरकार का तथा (0.40% (₹20.00 करोड़का अंश भारतीय रिज़र्व bank का है

2. भारतब्रिटेन व्यापार सुगमता सम्मेलन-

- Why: व्यापार में सुगमता यानी ईज आफ डूइंग बिजनेस के बारे में भारत-ब्रिटेन सम्मेलन | यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के माध्यम के रूप में काम करेगा।

Importance:

- भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार सुगमता संबंधी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार का वातावरण स्वयं व्यापार, निवेश, नवाचार और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है
- यह सम्मेलन दोनों देशों के विशेषज्ञों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करेगा, जहां वे एक दूसरे की उत्कृष्ट पद्धतियों को साझा कर सकेंगे और भविष्य में सहयोग बढ़ाने के लिए संबंध सुदृढ़ कर सकेंगे।
- इसके जरिए राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भारत और ब्रिटेन के विशेषज्ञों के साथ मिल कर काम करेंगे। सम्मेलन में नियामक सुधारों, निरीक्षण सुधारों, कर प्रशासन, व्यापार सुगमता, विद्युत प्रावधान और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
- सम्मेलन में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि अपनी व्यापार सुधार कार्य योजना, कार्यान्वयन नीति और इस दिशा में अर्जित ज्ञान एवं अनुभवों को उजागर करेंगे।

3. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की राजकीय भारत यात्रा

In news

इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोको विडोडो 11 से 13 दिसंबर 2016 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। राष्ट्रपति जोको विडोडो की भारत यह पहली द्वपक्षीय यात्रा है।

Some common ground for Cooperation

- भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों के लोगों के बीच गहरी सभ्यतामूलक संपर्कों के साथ दोनों दोस्ताना समुद्री पड़ोसी हैं। इसमें हिंदू धर्म सहितबौद्ध धर्म और इस्लाम की साझी विरासत शामिल है।

- दोनों देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए बहुलवाद, लोकतंत्र और कानून के शासन के महत्व को मूल्यों को महत्त्व देते है
- दोनों देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों में समानता ,एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक स्थायी आधार प्रदान करती है।

कुछ मुद्दे जिन पर सहयोग के लिए सहमति बनी

सामरिक साझेदारी

- इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने वार्षिक शिखर सम्मेलन की बैठकें आयोजित करने पर सहमति जताई जिसमें बहुपक्षीय कार्यक्रम भी शामिल हैं। दोनों देशो ने मंत्रिस्तरीय और कार्य समूह तंत्र सहित नियमित द्विपक्षीय विचार-विमर्श जारी रखने के महत्व पर बल दिया
- दोनों देशो ने पिछली बैठक के बाद कोयला,कृषि, आतंकवाद से मुकाबला, स्वास्थ्य, ड्रग्स, मादक पदार्थों और नारकोटिक्स में अवैध तस्करी का मुकाबला करने को लेकर गठित क्षेत्रीय संयुक्त कार्य समूह के तहत हुई प्रगति का स्वागत किया।
- दोनों देशो ने इसरो द्वारा सितंबर 2015 में एलएपीएएन ए 2और जून 2016 में एलएपीएएन ए 3 उपग्रह को प्रक्षेपित किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने एलएपीएएन और इसरो को लेकर बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग पर अंतर सरकारी समझौते की रूपरेखा को पूरा करने के वास्ते तेजी लाने और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग करने है तथा जल, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, फसल की भविष्यवाणी और संसाधनों का मानचित्रण के समझौतों; और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की खातिर एक प्रारंभिक तिथि पर संयुक्त समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- रणनीतिक साझेदारों और समुद्री पड़ोसियों के रूप में, दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। इस संदर्भ में, उ रक्षा मंत्रियों की वार्ता और संयुक्त रक्षा सहयोग समिति) जेडीसीसी (की बैठक के प्रारंभिक आयोजन की समीक्षा करने और एक ठोस द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते के लिए मौजूदा" रक्षा के क्षेत्र में सहयोग कार्यों पर समझौते "का उन्नयन करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए ।
- दोनों देशों की सेनाओं) अगस्त (2016 और नौसेनाओं)जून (2016 के के बीच स्टाफ वार्ता हुई, जिसके परिणामस्वरूप दो सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और वायु सेना स्टाफ वार्ता एक प्रारंभिक तिथि पर आयोजित करने को सहमति बनी थी। दोनों पक्षों में विशेष बलों सहित रक्षा आदान-प्रदान, प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास की आवृत्ति में वृद्धि करने के लिए सहमति बनी।
- वैश्विक आतंकवाद और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों से खतरा पर चर्चा की और साइबर अपराध, आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण, मनी लांड्रिंग, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग पर सहमती बनी
- दोनों देशों ने दुनिया और अपने-अपने देशों के आसपास के क्षेत्रों के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री सहयोग को गहरा करने का वादा किया है और राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान एक अलग" **समुद्री सहयोग पर वक्तव्य**" जारी किया गया । वक्तव्य में एक व्यापक क्षेत्र शामिल, जिसमें समुद्री सुरक्षा, समुद्री उद्योग, समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन और दोनों देशों द्वारा की चिह्नित द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों सम्मिलित हैं।

व्यापक आर्थिक भागीदारी

इसके लिए जिन क्षेत्रो में सहयोग की अपेक्षा की गई वो है

- व्यापार एवं विनिवेश में वृद्धि

- ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में सहयोग करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही संबंधित जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को पूरा करने पर सहमति
- तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग
- दवा के क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग का विस्तार
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
- व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी पर ध्यान

संस्कृति एवं लोगों के बीच संपर्क

इसके लिए फिल्म क्षेत्र , संकाय आदान प्रदान, शिक्षिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय के संबंधों का संस्थानीकरण में सहयोग पर बल देने की बात हुई

आम चुनौतियों से निपटने में सहयोग

- दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकी गतिविधियों को लेकर'जीरो टोलरेंस'नीति यानी बर्दाश्त नहीं करने की बात पर जोर दिया।
- दोनों देशों ने नौवहन की स्वतंत्रता का सम्मान करने और उड़ान भर में नियम कायदों का पालन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया जोकि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन समुद्र के कानून)यूएनसीएलओएस (में विशेष रूप से परिलक्षित होता है।
- दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और उसके प्रमुख निकायों में सुधार के लिए चल रहे कार्यक्रमों को अपने समर्थन की मंशा को दोहराया जिसमें सुरक्षा परिषद में सुधार शामिल है। आज की दुनिया की चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और कुशल बनाना होगा। दोनों देशों ने जोर देकर कहा कि परिषद का इस तरह के एक पुनर्गठन किया जाना चाहिए जिससे कि विकासशील देशों को पर्याप्त रूप से परिषद के स्थायी सदस्यों के जरिये प्रतिनिधित्व मिल सके। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सहमति जताई।
- दोनों देशों को हिंद महासागर रिम संघ)आईओआरए (और संगठन द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में और हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी)आईओएनएस (में भागीदारी करने पर भी सहमति बनी

4. गुणवत्तापूर्ण हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ जनसंख्या की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण

GENERAL STUDIES HINDI

जब तक नागरिक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद नहीं लेते, उनकी उत्पादक क्षमता को पूरी तरह जाना नहीं जा सकता। गुणवत्तापूर्ण हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ जनसंख्या की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है।

Human personal and health:

- हमारे देश में 300 से ज्यादा डेंटल कॉलेज हैं जहां से हर साल करीब 30 हजार डेंटिस्ट पास आउट होते हैं। लेकिन असल में ये संख्या अपर्याप्त है क्योंकि डेंटिस्ट और रोगियों के बीच का अनुपात कम है, खासतौर पर उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में।
- वर्तमान में शहरी क्षेत्र में डेंटिस्ट और रोगियों के बीच का अनुपात पहले ही (1:8,000) कम है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह अनुपात और भी खराब है। यहां 50 हजार लोगों पर एक डेंटिस्ट है।

इस संबंध में जागरुकता अभियान चलाना बेहद जरूरी हो गया है। इसके जरिए उन लोगों तक पहुंचना चाहिए कि दंत चिकित्सा संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। हमें बुनियादी रूप से शुरुआत करनी चाहिए। हमें उचित मौखिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर अभिभावकों और अध्यापकों को शिक्षित करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि बड़ी संख्या में बच्चों के मनोमस्तिष्क में अच्छी बातों का संचार हो।

विशेषाधिकार प्राप्त और पिछड़े वर्गों तक पहुंचने के लिए हमें सरल तरीकों को अपनाना होगा। वीडियो और डेमो की मदद से इस संबंध में लोगों का ज्ञान बढ़ाया जा सकता है।

5. **राष्ट्रपति ने निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 को जारी किए जाने को मंजूरी दी**

यह अध्यादेश क्यों

भारत सरकार ने 08 नवंबर, 2016 को 500 रुपये एवं 1000 रुपये (निर्दिष्ट बैंक नोट-एसबीएन) के बैंक नोटों की वर्तमान श्रृंखला का चलन बंद करने का जो निर्णय लिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए इस अध्यादेश को जारी किये जाने को मंजूरी दी गई है।

इस अध्यादेश के मुख्य उद्देश्य

(i) एसबीएन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की देनदारी को स्पष्टता और अंतिम रूप प्रदान करना

(ii) निर्धारित समय सीमा के भीतर एसबीएन जमा करने में विफल रहे लोगों को एक अवसर प्रदान करना

(iii) अध्यादेश के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान करने के साथ-साथ एसबीएन को अपने पास रखने, हस्तांतरित करने अथवा प्राप्त करने को अवैध घोषित करना।

GSPAPER III

1.सागरमाला परियोजना के अंतर्गत तटीय समुदाय का समावेशी विकास होगा:"

क्या है सागरमाला परियोजना -:]

- सागरमाला के अंतर्गत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, बंदरगाह आधारित औद्योगिकीरण और बंदरगाह कनेक्टिविटी में वृद्धि, तटीय क्षेत्रों के सामाजिकआर्थिक विकास- के लिए प्रमुख कार्य होंगे।

तटीय आबादी के समावेशी विकास हेतु प्रावधान---:

- सतत समावेशी विकास सागरमाला का एक अभिन्न अंग है, जोकि आर्थिक विकास, समुदायों का पोषण और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की रक्षा करने पर बल देता है।
- भारत की करीब 18 फीसदी आबादी 72 तटीय ज़िलों में रह रही है। विशेष रूप से मछुआरों की आबादी सहित तटीय क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न समुदायों के समग्र एवं सतत विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। -
- पोत परिवहन मंत्रालय गुजरात के अलंग(रीसाइक्लिंग) सोसिया पुनरावर्तन- यार्ड पर जहाज़ रीसाइक्लिंग गतिविधियों में लगे 20,000 कर्मचारियों में क्षमता निर्माण और उन्हें सुरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए 30 करोड़ रुपये मंज़ूर कर चुका है। -
- इसके अलावा, मछुआरा समुदाय को विकसित करने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के सहयोग से पोत परिवहन मंत्रालय सागरमाला के अंतर्गत चुनिंदा मछली पकड़ने की बंदरगाह परियोजनाओं को अनुदान मुहैया करा रहा है।
- मुंबई में ससून डॉक स्थित मौजूद मछली पकड़ने के बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए 13 करोड़ रुपये मंज़ूर किए जा चुके हैं।
- वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गुजरात स्थित 09 मछली पकड़ने के बंदरगाहों के अद्यतन के लिए (अपग्रेड)50 करोड़ रुपये को सैद्धांतिक रूप से मान्यता दी जा चुकी है।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के सहयोग से पोत परिवहन मंत्रालय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के पोत और मछली प्रसंस्करण केन्द्रों के विकास के कार्य में भी सहयोग करेगा।
- कौशल विकास पहलों के जरिए ये कार्यक्रम विशेष रूप से तटीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाएंगे और उनको रोज़गार और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न तरह के कौशल से परिपूर्ण करेंगे।। -

- मंत्रालय तटीय समुदायों को आजीविका के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तटीय पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। इसके अंतर्गत प्रकाशस्तंभों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना और भारत में क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देना आदि शामिल है।। -
- वैश्विक स्तर पर बंदरगाहों ने खुद को तटीय समुदायों के सतत विकास के इंजन के रूप में साबित किया है, ये बंदरगाह तटीय क्षेत्रों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचा रहे हैं। सिएटल बंदरगाह सफलता की एक ऐसी ही कहानी है।
- मछली पालन, क्रूज़ संचालन, मनोरंजक गतिविधियां और बंदरगाह रियल एस्टेट आदि बंदरगाह की मालवाहक गतिविधियों से दो लाख प्रत्यक्ष एवं सात लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन हुआ है और करीब 10 बिलियन डॉलर की आय को भी इसके ज़रिए बढ़ावा मिला है।।

2. डेबिट कार्ड एक्टिवेशन के लाभ – (सक्रिय करने के लाभ)एफएक्यू

प्रश्न 1: सक्रिय डेबिट कार्ड रखना क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर: डेबिट कार्ड आपके भुगतानों को आपके बैंक खाते से सीधे ही इलेक्ट्रानिक भुगतान सुविधा के माध्यम से अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाता है।आपके खाते को सीधे ही डेबिट करके डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन अथवा दुकानों पर खरीददारी के लिए किया जा सकता है। एटीएम से नकद आहरण के लिए भी डेबिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 2: डेबिट कार्डों से कोई ग्राहक कैसे लाभान्वित होता है?

उत्तर: ग्राहकों को मिलने वाले प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- भारी भरकम चैक बुक अथवा बड़ी मात्रा में नकदी के स्थान पर एक छोटा प्लास्टिक कार्ड रखना ज्यादा सरल है।
- प्राप्त करने में आसानी: अपना खाता खोलने पर अधिकतर संस्थान आपके अनुरोध पर आपको एक डेबिट कार्ड जारी करेंगे।
- सुविधा: कागजी चैक बुक को भरने के स्थान पर चिप – समर्थित टर्मिनल अथवा कार्ड को स्वाईप करके खरीददारी की जा सकती है।
- सुरक्षा: आपको नकद अथवा चैक बुक साथ नहीं रखनी पड़ती है। डेबिट कार्ड आपके द्वारा स्वयं निर्धारित किए गए चार अंकों के पिन नम्बर द्वारा सुरक्षित होते हैं। आपके डेबिट कार्ड से किसी भी प्रकार की खरीददारी के लिए इस पिन की आवश्यकता होती है।
- आसानी से स्वीकार: जब आप शहर से बाहर (अथवा देश से बाहर) होते हैं, आमतौर पर डेबिट कार्डों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है (यह सुनिश्चत करें कि आप अपनी वित्तीय संस्था को यह बताएं कि आप शहर से बाहर जा रहे हैं, ताकि सेवा में कोई बाधा उत्पन्न न हो)।
- यह एक कैश कार्ड भी है: डेबिट कार्डों में आपको नकदी प्रदान करने की क्षमता भी है, आप उसे एटीएम पर ले जाकर तथा उसका उपयोग करके वहां पर नकदी का आहरण कर सकते हैं।

बीमा:भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पात्र रूपे कार्डधारकों के लिए दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता के मामले में गैर-प्रीमियम कार्डों (रूपे क्लासिक) के लिए 1 लाख रुपए तथा प्रीमियम कार्डों (रूपे प्लेटिनम) के लिए 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रारंभ किया है। रूपे बीमा कार्यक्रम वित्त वर्ष 2016-17 अर्थात 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक जारी रहेगा।

प्रश्न 3: डेबिट कार्ड भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम क्या हैं?

उत्तर: डेबिट कार्ड के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए हाल ही में की गयी कुछेक पहल हैं:

- एमडीआर (व्यापारी छूट दर), जिसे कोई व्यापारी (दुकानदार) बैंक को पीओएस लेनदेन के लिए अदा करता है, को 31 दिसम्बर, 2016 तक कम करके शून्य कर दिया गया है।

- पीओएस मशीन की खरीद के लिए देय उत्पाद शुल्क जो पहले 16.5% था, को 31 मार्च, 2017 तक समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न 4: व्यापारी को कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा क्यों देना चाहिए?

उत्तरः डेबिट कार्ड के लेनदेन को बढ़ावा देने से व्यापारियों को निम्नलिखित लाभ हैं:

- नगदी के रख-रखाव की तुलना में डिजीटल लेनदेन की लागत कम है।
- बैंक में नगद राशि को जमा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह राशि खाते में स्वतः क्रेडिट होगी।
- ग्राहक के लिए क्रेडिट इतिवृत्त तैयार किया जाएगा जिससे उन्हें समय-समय पर बैंकों तथा सरकार की अन्य वित्तीय पहल से सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- व्यापारी की ओर से मैनुअल मिलान की आवश्यकता नहीं है। वे हमेशा अपने खाते का उल्लेख कर सकते हैं।
- भुगतान कार्ड स्वीकार करके व्यापारी अपना राजस्व बढ़ा सकते हैं।
- विक्रय में वृद्धिः कार्ड ग्राहकों को शीघ्र तथा आसानी से भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
- बेहतर ग्राहक सेवाः इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ग्राहकों को अधिक लचीला भुगतान विकल्प उपलब्ध कराता है – ग्राहकों के लिए त्वरित चेकआउट टाइम तथा भुगतान करने के अधिक कुशल तरीके। इसके अलावा, समान मासिक किस्त (ईएमआई) भुगतान जैसी नयी पहल ग्राहकों को खरीदने तथा कब्जे में लेने की क्षमता प्रदान करती है

3. पीएसएलवीसी-36 द्वारा रिसोर्ससैट -2ए रिमोट सेंसिंग उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

Why in news:

इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 1,235 किलो भार के रिसोर्ससैट -2ए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रेक्षपण किया। यह पीएसएलवी का लगातार 37वां सफल मिशन है।

- रिसोर्ससैट- 2ए द्वारा भेजे गए डेटा फसल क्षेत्र और फसल उत्पादन अनुमान, सूखे की निगरानी, मिट्टी मानचित्रण, फसल प्रणाली विश्लेषण और कृषि परामर्श से संबंधित कृषि अनुप्रयोगों में उपयोगी हो जाएगा।
- अपने पूर्ववर्ती रिसोर्ससैट -1 और 2 की तरह रिसोर्ससैट -2ए भी विशिष्ट थ्री टियर टायर इमेजिंग-- रैखिक इमेजिंग सेल्फ स्कैनर (एडब्ल्यूएफएस) प्रणाली और उन्नत वाइड फील्ड सेंसर3 (एलआईएसएस-3) और रैखिक इमेजिंग सेल्फ स्कैनर-4 (एलआईएसएस -4) कैमरों से युक्त है।
- एडब्ल्यूएफएस 56 मीटर की सैंपलिंग वाले फोटो 740 किलोमीटर पट्टी के साथ, जबकि एलआईएसएस-3 23.5 मीटर सैंपलिंग और 141 किमी पट्टी के साथ फोटो उपलब्ध कराएगा। . -एलआईएसएस4 5.8 मीटर सैंपलिंग और 70 किमी पट्टी के साथ फोटो उपलब्ध कराएगा।
- रिसोर्ससैट -2ए के प्रेक्षपण सहित भारत के पीएसएलवी यान द्वारा प्रेक्षपित उपग्रहों की कुल संख्या 122 तक पहुँच गई है, जिनमें 43 उपग्रह भारतीय हैं और शेष 79 विदेशों के हैं।

4. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा (केवीआईसी) है।

1. केवीआईसी खादी डेनिम और खादी टी शर्ट बनाने सहित देश के युवाओं को लुभाने के लिए- डिजाइनिंग और उत्पादों की मार्केटिंग कर रहा है।
2. केवीआईसी ने देश के विभिन्न इलाकों में नई दुकानें खोलने के लिए फ्रेंचाइजी प्रणाली शुरू की है।

3. 185 खादी संस्थानों की दुकानों का आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बिक्री बढ़ी है।
4. केवीआईसी और खादी संस्थान डिजिटल मार्केटिंग के जरिए खादी और खादी के उत्पादों के लिए उचित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के वास्ते प्रतिष्ठित खुदरा विक्रेताओं के साथ कार्य कर रहे हैं।
5. केवीआईसी विशिष्ट डिजाइन और स्टाइल द्वारा खादी उत्पाद युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनरों के साथ कार्य कर रहा है।
6. केवीआईसी ने खादी उपहार कूपन और खादी गिफ्ट हैम्पर देने शुरू किए हैं।
7. केवीआईसी ने एयरपोर्ट पर नये शोरूम खोले हैं और अच्छे व्यापार की संभावनाओं वाले स्थानों तथा पर्यटन स्थलों पर विशेष खादी प्लाजा खोलने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।
8. ई वाणिज्य पोर्टल ऑनलाइन के जरिए खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद उपलब्ध कराने के प्रयास किए-जा रहे हैं। इस बारे में पेटीएम द्वारा पहले तीन महीने के लिए केवीआई उत्पादों के लिए निशुल्क ऑनलाइन सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
9. केवीआईसी ने थोक खरीद को बढ़ावा देने के लिए 18.07.2016 को विभिन्न स्लेब में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गोवा, पटना, एर्नाकुलम और भोपाल के विभागीय बिक्री दुकानों थोक खुदरा संबद्ध' में (डीएसओ) शुरू की है। संबंधित डीएसओ से की गई खादी और ग्रामोद् 'उपहार वाउचर योजनायोग की खरीदी पर उपहार वाउचर को भुनाया जा रहा है।
10. खादी उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी को का 'डीम्ड निर्यात संवर्धन परिषद' दर्जा दिया गया है, जिसके तहत उसने 900 से अधिक निर्यातकों को पहले से ही पंजीकृत कर लिया है।
11. खादी उत्पादों के सीधे निर्यात का फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य का (एफओबी)5 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन राशि केवीआईसी के साथ पंजीकृत केवीआई संस्थानों और इकाईयों को दिया जाता है। केवीआईसी खादी उत्पादों के लिए नये और उभरते बाजारों की संभावनाएं तलाशने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और विदेशों में होने वाले क्रेताविक्रेता बैठकों में अपनी प्रतिभागिता पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।-
12. केवीआईसी ने बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित (आईपीआर) विभिन्न उत्पादों के45 वर्गों में से 27 वर्गों में को वर्ड मा 'खादी'र्क और को ट्रेड मार्क के 'खादी इंडिया' रूप में पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा केवीआईसी ने यूरोपीय यूनियन और अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के अंतर्गत16 विभिन्न वर्ग में को ट्रेड मार्क के रूप में पंजीकृत 'खादी' करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।
13. केवीआईसी सरकारी विभागों और रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, अर्द्धसैन्य बल और अन्य केंद्रीय तथा राज्य सरकार के मंत्रालयों जैसे थोक खरीदारों की जरूरतों को पूरा करता है। खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए केवीआईसी ने आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय डीजीएस) प्रणाली में भी पंजीकरण करवाया है। (आरसी) की दर अनुबंध (एंड डी
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव और केवीआईसी के अध्यक्ष द्वारा खादी और खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रम की इकाईयों को पत्र भेजे गए हैं। केवीआईसी ने मानव संसाधन विकास (सीपीएसयू) मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के सभी कर्मचारियों से सप्ताह में एक दिन स्वैच्छा से खादी पहनने की अपील की है। केवीआईसी ने सभीराज्य सरकारों के प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा विभागों से स्कूल की यूनिफॉर्म खादी में बनाने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों से प्रस्ताव का आकलन कर इस पर कार्यवाही करने को कहा है।

5. डिजिटल पेमेन्ट प्रोत्साहन योजना---:
Context:

पिछले ढाई वर्ष में भ्रष्टाचार एवं कालेधन के खिलाफ भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। एक हजार और पाँच सौ रूपये के नोट को बंद करने संबंधित निर्णय भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1000 और 500 के नोट के ढेर ने देश के अंर्थतंत्र में अनेक बुराइयों को आश्रय दिया। भविष्य में भी देश फिर से एक बार भ्रष्टाचार एवं काले धन का शिकार न हो, इसलिए भविष्यलक्षी स्थाई योजनाओं को लागू करना बहुत ही आवश्यक है।

- आज तकनीक) technology) के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग , ईवॉलेट-, डेबिट कार्ड के ज़रिए डिजिटल बिज़नेस ट्रांसज़ेक्शन संभव है। ऐसे कई वैकल्पिक साधनों के ज़रिए डिजिटल से डिजी) धन-digi-dhan) की दिशा में बढ़ने में मदद मिलेगी। अफ्रीका में केन्या जैसे विकासशील देश न ऐसा करके दिखाया है।
- भारत जैसा देश जिसकी 65% जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है, भारत जो पूरी दुनिया में आईटी कौशल के लिए जाना जाता है, भारत जिसके करोड़ों करोड़ अनपढ़ और गरीब व्यक्ति- ईवीएम से वोट देते हैं, ऐसी क्षमता वाले देश के नागरिक निश्चित ही मौजूदा अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने में सक्षम हैं। जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
- इस सपने को पूरा करने के लिए, ई) पेमेंट-e-payment) को बढ़ावा देना, ई) वॉलेट-e-wallet) और मोबाइल बैंकिग के प्रचलन को बढ़ाना, डिजिटल)digital) से समाज को डिजी) धन-digi-dhan) की ओर ले जाना अपरिहार्य हो गया है। 1000 और 500 रू के नोटों के विमुद्रीकरण के . पश्चात डिजिटल पेमेन्ट्स में काफी वृद्धि हुई है।
- यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का प्रचलन समाज के हर वर्ग में फैले। अतः नीति आयोग स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम)NPCI) से अनुरोध किया जाए कि वह डिजीटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शीघ्र लागू करें। उल्लेखनीय है कि NPCI एक गैर लाभकारी कम्पनी है जो-भारत को कैशलेस समाज की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है।

****प्रोत्साहन योजना के मुख्य बिन्दु---:**

- वो उपभोक्ता) Consumers) और विक्रेता)Merchants) जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट)Electronic Payment) का उपयोग करते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते है।
- इस योजना में दो तरह की प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था है-
  1. प्रत्येक सप्ताह भाग्यशाली विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाने की रूपरेखा बनाई जाएगी।

  2.हर तीन माह में उपभोक्ताओं में से कुछ को एक बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। - योजना में यह ध्यान रखा जाएगा कि गरीबों,निम्न मध्यम वर्ग तथा छोटे व्यापारियों को- प्राथमिकता मिले।।
- इस योजना में निम्न प्रकार के डिजिटल पेमेंट्स)Digital Payments) अनुमन्य होगें -USSD, AEPS ,UPI और RuPay Card.
- विक्रेताओं के लिए उनके द्वारा स्थापित POS मशीन पर किये गये ट्रांज़ेक्शंस)Transactions) इस योजना हेतु मान्य |
- राज्य सरकारों, उनके उपक्रमों, जिलों, महानगर निगमों एवं पंचायतों में भी जहां कैशलेस ट्रांज़ेक्शंस)Cashless Transactions) को प्रोत्साहित करने हेतू उल्लेखनीय कार्य किया गया हो, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा
- योजना की रुपरेखा शीध्र ही देश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी किन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे जितने लोग डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली का उपयोग कर रहे है वे इस योजना के लाभ उठाने के हक़दार होंगे।

GENERAL STUDIES HINDI

- वर्तमान में दो प्रकार के सुझाव चल रहे हैं कि प्रोत्साहन योजना 6 महीने चलाई जाए अथवा एक वर्ष तक चलाई जाए।।

6. परिवर्तनशील जलवायु के तहत एक चुनौती के रूप में उभर रहे जैविक दबाव

क्या है जैविक दबाव

जैविक दवाब का अर्थ है ऐसे रोग, कीट -नाशीजीव और खरपतवार जो की जीवों) पौधे पशु और मनुष्य (के सामान्य विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते है।

- जैविक दबाव के लिए परपोषी, नाशीजीव औऱ पर्यावरण के बीच हितकारी पारस्परिक संपर्क की आवश्यकता होती है।
- इस प्रकार के प्रतिबलो से महामारी के वर्ष में 100 प्रतिशत तक की हानि हो सकती है और इसका कटु उदाहरण 1943 में चावल में भूरा धब्बा) हैलमिनथोस्पोरियम ओरिजिए (की महामारी थी, जिसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीशा में भीषण आकाल पड़ा
- इस ऐतिहासिक नुकसान से लगभग 40 लाख लोगो की भूख के कारण मृत्यु हुई I नाशीजीव और रोगजनक उभरते रहते है और यदि पर्यावरण अनुकूल हो सकता है तो उनके उदभव की दर में तेजी आती है।
- इस प्रकार पर्यावरण में परिवर्तन, रोगजनकों की नई प्रजातियों के उदभव का मुख्य कारण है तथा गौण रोग या कीटनाशीजीव मुख्य जैविक प्रतिबल बन जाते है।
- **जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्या :** ग्रीनहाउस गैस तथा कार्बनडाइऑक्साइड, पतियो में सरल शर्करा के स्तरों को बढ़ा सकती है और नाइट्रोजन की मात्रा कम कर सकती है। ये अनेक कीटो द्वारा होने वाले नुक्सान को बड़ा सकती है जो नाइट्रोजेन की अपनी मेटाबोलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक पतियो को खायेगे। इस प्रकार कोई भी आक्रमण अधिक संक्रामक होगा। मुख्य रूप से कार्बनडाइऑक्साइड के कारण होने वाले वैश्विक उष्मण से उच्चतर तापमान का अर्थ है कि सर्दी के मौसम में अधिक सख्या में नाशीजीव जीवित रहेगे। जबकि ऐसा स्पस्ट संकेत है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पशु और पौधों, नाशीजीव और रोगों के वितरण में परिवर्तन हो रहा है और इसके पुरे प्रभावो का अनुमान लगाना कठिन है।

तापमान, नमी और वायुमंडलीय गैसों में परिवर्तन से पोधो, फफूंद और कीटो की वृद्धि और प्रजनन दर बढ़ सकती है जिससे नाशजीवो उनके प्राकृतिक शत्रुओं और परपोषी के बीच पारस्परिक सम्पर्क में परिवर्तन होता है। भूमि कवर में परिवर्तन जैसे कि वनकटाई या मरुस्थल से बाकी बचे पौधे और पशु नाशीजीवों और रोगों के प्रति और अधिक संवेदनसील हो जायेगे। यदपि नए नाशीजीव और रोग पुरे इतिहास में नियमित रूप से उभरते रहे है, जलवायु परिवर्तन से इस समीकरण में अज्ञात नाशिजीवों की संख्या बढ़ जाती है।

1. पोधो के नाशीजीव, निरंतर खाद्य और कृषि उत्पादन के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बने हुए है। इनके कारण विश्व की खाद्य आपूर्ति में औसतन 40 प्रतिशत से भी अधिक की वार्षिक हानि होती है, और जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
2. जलवायु परिवर्तन आधारित प्रभाव से या तो नए जैविक दबाबो का उद्गमन हुआ, प्रमुख चुनौती के रूप में छोटे दबाबो में परिवर्तन हुआ या किसी अन्य देश में आक्रमणकारी नाशजीवो का बस्तीकरण व पदार्पण हुआ।
3. जलवायु परिवर्तन से गेहू में तना रतुवे के यूजी 99 के विरुद्ध प्रतिरोधिता को निगमित करने वाली एसआर जीनो की श्रृंखला के टिकाऊपन के प्रति गंभीर चुनौती प्रस्तुत हो रही है।
4. बड़े हुए तापमान और कार्बनडाइऑक्साइड ने गेहू के ब्लास्ट के पर्यानुकूलन के विरुद्ध, आलू की पछेती अंगमारी के उग्र पृथको, चावल के महत्वपूर्ण रोग नामतः ब्लास्ट और शीथ ब्लाइट जैसे खतरे उत्पन किये है

5. देश ने हाल ही में विनाशकारी नाशीजीवों और रोगों जैसे टमाटर पर साउथ अमेरिकन पिनवॉर्म, फूल पर वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स, केले पर फ्यूजोरियम मुरझान, नारियल में सफेद मक्खी का बढ़ता प्रकोप आदि का अनुकूलन और उदभव देखा है।

6. तापमान और आद्रता स्तरों में परिवर्तन के साथ इन कीटो की संख्या में उनके भैगोलिक क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है और पशुओ और मनुष्य को ऐसे रोगों का इस प्रकार से सामना करना पड़ सकता है जिनके लिए उनके पास कोई प्राकृतिक प्रतिरक्षा नही है।
7. सूखे में बढ़ोतरी का परिणाम जल निकायों में कमी के रूप में सामने आ सकता है जो इसके बदले पालतू पशुधन एवं वन्य जीवन के बीच अधिक परस्पर सम्पर्को को सुगम बनाएगा और इसका परिणाम असाध्य" केटाहैरल बुखार "के प्रकोप के रूप में हो सकता है जो पशुओ की एक घातक बीमारी है क्योकि सभी जंगली पशु बुखार के विषाणु के वाहक होते है।
8. मछलिया विशेष रूप से उभरती जलवायु-परिवर्तन के प्रति सवेदनशील होती है क्योकि उनकी परिस्थितिक प्रणाली बहुत निर्बल होती है और जल एक प्रभावी रोग वाहक है।
9. पिछले कुछ वर्षो में भारत में पादप सुरक्षा विजयन और जैव– सुरक्षा जागरूकता में उल्लेखनीय रूप से प्रगति हुई है I हाल ही में भारत ने अनेक ऐसी आकस्मिकताओं का प्रभावकारी रूप से प्रबंधन किया है जिनसे राष्ट्रीय आपदाएं हो सकती थी
10.अफ्रीका में तना रतुवे की प्रजाति यूजी 99 के उभरने के कारण भारतीय गेहूं को किसी भी प्रकार के जैव सुरक्षा खतरे कि संभावनाओं से दूर रखने के लिए भारत ने कीनिया में रोगजनक के विरूद्ध अपनी किस्मों कि स्क्रीनिंग करने में समय से पहले सक्रियता से कार्य किया इसके परिणामस्वरुप हमारे पास देश में लगाई गई अनेक यूजी 99 प्रतिरोधी किस्में हैं और हमने किसी भी महामारी के होने से रोका है
11.वर्ष 2015-16 के दौरान बांग्लादेश में गेहूं के ब्लास्ट रोग द्वारा नष्ट किये जाने के तुरंत बाद भारत ने दक्षिण अमेरिकी देशों में जहाँ कि यह रोग मौजूद है, गेहूं के ब्लास्ट रोग के विरूद्ध स्क्रीनिंग के लिए सिमिट संस्था को गेहूं के 40 जीन प्रारूप भेजे
12.घरेलू स्तर पर, डेयर- भाकृअप, डीएसी, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और राज्य कृषि विभाग जैविक दबावों के कारण होने वाले नुकसानों से बचाने के लिए सुरक्षा तकनीकियों को कार्यान्वित करने में लगे हुए है
13.एनपीपीओ के सक्रीय प्रयासों के परिणामस्वरूप 2016-17 के दौरान श्वेत मक्खी के कारण कपास में होने वाले आसन्न नुकसानों का प्रभावकारी रूप से प्रबंधन किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत में कपास का उत्पादन पिछले तीन वर्षों कि उपज से अधिक होने कि संभावना है
14.उचित जैव सुरक्षा और जैव प्रदूषक उपायों को अपनाने से देश में एवियन इन्फ्लुएंजा के आक्रामक एच5एन8 विभेद के हाल ही में हुए प्रकोप का प्रभावकारी रूप से प्रबंधन किया जा सका 15.परिवर्तनशील जैविक प्रतिबल परिदृश्य ने ऐसे मॉडलों पर भविष्य में अध्यन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है जोकि खेत की वास्तविक परिस्थितियों में मुख्य फसलों, पशुओं और मछलियों क्र रोगजनकों कि गंभीरता का अनुमान लगा सकें इसके साथ ही साथ बदल रही परिस्थितियों में टिकाऊ खाद्य उत्पादन के लिए नयी कार्यनीतियों को मिलते हुए रोग प्रबंधन कार्यनीतियों का पुनः अभिविन्यास किया जाना चाहिए।

कृषि जैव सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए तथा जैविक दवाबो के दक्ष प्रबन्धन को सुनुश्चित करने के लिए कुछ तत्काल क्षेत्र और कार्यनीतियों जो आवश्यक है -:
क .देशी के साथ ही साथ जंगली संसाधनों का प्रयोग करते हुए जैविक दबाव प्रतिरोधी फसलो और पशुओ की नस्लो का विकास।
ख .जैविक प्रतिबल अनुकूल जीवो के विकास की प्रक्रिया को तेज करने में लिए एमएएस, पराजीनी और जीन एडिटिंग तकनीकियों जैसे उपकरणों और आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग बढ़ाना।

ग .संक्रमित उत्पादों को नाशीजीव मुकत क्षेत्रों /देशों में जाने से रोकने के लिए देशी और अर्न्तराष्ट्रीय संगरोधों को मजबूत बनाना।
घ .आईपीएम एप्रोचों को आयोजित करना और जैव नियंत्रक एजेंटों की डिलीवरी की प्रभावकारी प्रणाली को मजबूत बनाना तथा प्रभावकारी नाशक जीवनाशियों के लेबल का प्रसार करना।
ड .जैव सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को विकसित करना।
च .आक्रमण और आक्रमणकरी नाशीजीवों/ रोगजनकों के प्रसार की निगरानी के लिए तथा टीकाकरण के लिए निदानकरी उपकरणों/टीकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक नेटवर्किंग।

7. पशु क्रूरता निवारण नियम (पालतू पशु की दुकान), 2016

क्यों खबरों में

हाल ही में सरकार ने यहां पशु क्रूरता निवारण नियम (पालतू पशु की दुकान), 2016 की अधिसूचना की घोषणा की है

क्या है यह

यह पालतू पशुओं की दुकान को विनियमित करने के (पैट शॉप्स) लिए है। इन नियमों का उद्देश्य पालतू पशुओं की दुकानों को जवाबदेह बनाना और इन दुकानों में पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास जानवरों पर अनावश्यक दर्द या पीड़ा रोकने के लिए और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए), 1960 लागू करने का अधिकार है।

प्रस्तावित नियम इस प्रकार है:

(i) प्रत्येक पालतू पशु दुकान के मालिक को अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पशु कल्याण बोर्ड में खुद/ को पंजीकृत कराना होगा।
(ii) राज्य बोर्ड, एक वेटरिनेरी प्रैक्टिशनर और पशु क्रूरता निवारण सोसायटी के एक प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के बाद ही दुकान पंजीकृत हो पाएगी।
(iii) इस नियम में दुकान में पक्षियों, बिल्लियों, कुत्तों, खरगोश, गिनी पिग, हम्सटर, चूहों के लिए स्थान को परिभाषित किया गया है।
(iv) इसके अलावा इसमें बुनियादी सुविधाओं, बिजली बैकअप-, सामान्य देखभाल, पशु चिकित्सा देखभाल और पशुओं के रखरखाव के लिए अन्य आवश्यकताओं को भी परिभाषित किया गया है।
) v) पशुओं की दुकान में उनकी बिक्री, उनकी मृत्य, उनके बीमार होने का पूरा रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य बनाया गया है।
(vi) प्रत्येक पालतू पशु की दुकान के मालिक को पिछले वर्ष के दौरान पशुओं की खरीद, बिक्री व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का ब्योरा और राज्य बोर्ड द्वारा पूछी गई अहम जानकारी को पूरी सालाना रिपोर्ट के रूप में जमा कराना होगा।

GENERAL STUDIES HINDI

नियमों का उल्लंघनप्रस्तावित नियमों क :े पूरा न होने पर दुकान का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही पशुओं की जब्त कर पशु कल्याण संगठन या फिर बोर्ड से मान्यता प्राप्त रेस्क्यू सेंटर को सौंप दिया जाएगा।

8. 'कारोबार करने को आसान करने ' में दुनिया के 50 शीर्ष देशों में स्थान पाने हेतु सरकार ने रैंकिंग में सुधार के लिए किए गए उपाय :

1. कारोबार शुरू करने के लिए ई बिज पोर्टल आवश्यक होगा। इनमें कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तीनों सेवाएं पैन और टैन के लिए पंजीकरण, ईपीएफओ और ईएसआईसी का पंजीकरण भी शामिल है।
2. कारोबार शुरू करने के लिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय सीबीडीटी,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रक्रियाओं की संख्या कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसमें प्रक्रियाओं की संख्या 4 की जाएगी और इसके लिए दिन भी चार तय किए गए हैं।

3. रिर्टन दाखिल करने, चालान,ऑनलाइन भुगतान,और ईपीएफओ और ईएसआईसी के अंशदान के लिए केवल श्रम सुविधा पोर्टल का प्रयोग किया जा सकेगा।
4.राजस्व विभाग और जहाजरानी मंत्रालय प्रत्यक्ष वितरण के खेप की संख्या इस महीने तक बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक करने के लिए काम करेंगे। विभाग इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि निर्यात और आयात की लागत में ठोस कमी आए जिससे भारत दुनिया के 50 शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो सके।
5. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर एनसीएलटी के माध्यम से हाल ही में बने तालाबंदी और दीवालिया संहिता के प्रावधानों को लागू करेगा।

8. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के गंगा संरक्षण हेतु किये गये प्रयास

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमामि गंगे कार्यक्रम के **तहत हाइब्रिड वार्षिक वृत्ति** आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसका उद्देश्य भारत में अपशिष्ट जल (पीपीपी) क्षेत्र में सुधार लाना है।

Some progress

- नमामि गंगे कार्यक्रम को लागू करने में तेजी लाने की दिशा में एक प्रमुख पहल के रूप में गंगा टास्क फोर्स बटालियन की पहली कंपनी को गढ़मुक्तेश्वर में तैनात किया गया था।।
- नमामी गंगे कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों , संस्थाओं और कॉरपोरेट्स को गंगा संरक्षण में योगदान देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए '**स्वच्छ गंगा कोष** की स्थापना की। '
- नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा संरक्षण के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर 16 अप्रैल , 2016 को जल संसाधन मंत्रालय , नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा जर्मनी की जर्मन इंटरनेशनल कोरपोरेशन के बीच नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। (जीआईजेड)
- जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने इंडियन इंस्टीट्यूट कानपुर के सहयोग से गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन (आईआईटीके) की नई दिल्ली में औपचारिक शुरूआत की घोषणा (सीजीआरबीएमएस) केंद्र की।
- जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने गंगा अधिनियम मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय को इस समिति (सेवानिवृत्त) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।।
- जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने नमामी गंगे कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा नदी संरक्षण), सुरक्षा और प्रबंधन प्राधिकरण आदेश (2016 को मंजूरी दे दी है। इस आदेश में त्वरित तरीके से नीति और कार्यान्वयन के लिए एक नए संस्थागत ढांचे का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन को स्वतंत्र और जवाबदेह तरीके से अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए सशक्त बनाया गया है।
- मंत्रालय ने पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय को चालू चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंगा कार्य योजना को लागू करने के लिए (ग्रामीण)315 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।।
- सरकार ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा दिए गए विकासात्म (जेआईसीए)क ऋणों के रूप में यमुना की परियोजनाओं के लिए 496.90 करोड़ रुपये राशि की वित्तीय सहायता का लाभ उठाया।। -

9. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2017 में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

GENERAL STUDIES HINDI

केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछले 30 महीनों में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :-

1. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:**
2. **स्वायल हैल्थ कार्ड:**

3. परंपरागत कृषि विकास योजना: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए

4. **राष्ट्रीय कृषि बाजार:** इस योजना के तहत 10 राज्यों की 250 मंडियो को सितंबर 2016 तक ई नाम portal से जोड़ दिया गया है व 399 मंडियों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

5. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:**
   - इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 2013-14 में 4.3 लाख हैक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लायागया जबकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2014-16 में 12.74 लाख हैक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लायागया है जो की 200 प्रतिशत की वृद्धि हैं।
   - पीएमकेएसवाई स्कीम को कमान क्षेत्र विकास सहित दिसम्बर 2019तक चरणबद्ध तरीके से 76.03 लाख हैक्टेयर की क्षमता के साथ 99 वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजना को पूर्णकरने के उद्देश्य से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है जो रु. 77,595 करोड़ की लागत से पूरा होगा।

6. **मधुमक्खी विकास:**
   - मधुमक्खी विकास के तहत 2012-14 में 1,48,450 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ जबकि 2014-16 में 2,63,930 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ जो कि 78 प्रतिशत की वृद्धि है।
   - नेशनल बी बोर्ड (एन बी बी) को मधुमक्खीपालनविकास के लिए पिछले तीन वर्षों (2011-12 to 2013-14) में कुल रुपये 5.94 करोड़ की वित्तीय सहायता के एवज में पिछले दो वर्षों (2014-15 व् 2015-16) में कुल रुपये 7.15 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराईगयी। गयी।

7. **एफपीओ:** FPOके तहत 2011-14 के दौरान (3 वर्षों में) 223 एफपीओ का पंजीकरण हुआ जबकि 2014-16 के दौरान (2 वर्षों में) 568 एफपीओ का पंजीकरण हुआ जो कि 155 प्रतिशत की वृद्धि है।

8. ज्वाइंट लाएबिलिटी ग्रुप को वित्तीय सहायता: 2007 से 2014 तक (7 वर्षों में) 6.7 लाख ज्वाइंट लाएबिलिटी समूहों की तुलना में 2014 से 2016 (2 ½ वर्षों में)18.21 लाख समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

GENERAL STUDIES HINDI

9. **बागवानी**:

   - पिछले दशक में बागवानी के तहत क्षेत्र प्रति वर्ष लगभग 2.7 प्रतिशत बढ़ा है और वार्षिक उत्पादन 5.5 प्रतिशतबढ़ा है।
   - लगातार दो वर्ष 2014-15 व 2015-16 में सूखा पड़ने के बावजूद, बागवानी के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

10. **नारियल विकास**:
   - इस वित्तीय वर्ष 2016-17 की शुरुआत से ही भारत नारियल तेल का निर्यात मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका को करने लगा है, जबकि हम पिछले वर्ष तक इन्हीं देशों से नारियल तेल का आयात कर रहे थे।
   - दुनिया में भारत नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है।

11. नीम कोटेड यूरिया:

- सरकार ने एक वर्ष में पूरे देश में अब नीम कोटेड यूरिया 100 % उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है।
- इससे यूरिया का अवैध रूप से रसायन उद्योग में दुरूपयोग समाप्त हो गया है।
- अब किसानों को यूरिया पर्याप्त मात्रा मेंमिल रहा है।
- नीम लेपित यूरिया के उपयोग से उत्पादन लागत में 10-15 % की भी कमी हो रही है। इसके उपयोगसे उत्पादकता भी बढ़ेगी।

12. कृषि वानिकी:

- हर खेत के **"मेढ़ पर पेड़", परती भूमि पर पेड़ तथा inter cropping** में भी पेड़ लगाने के उद्देश्य से पहली बार कृषिवानिकी उप-मिशन क्रियान्वित किया गया है।
- इस योजना के अन्तर्गत "मेड़ पर पेड़" अभियान को गति मिलेगी।इसके अलावा खेत में फसलों / फसल तंत्र के साथ पट्टी एवं अंतरायिक रूप में पेड़ लगाए जाने का प्रावधान हैं।
- खेती योग्य बंजर भूमि में भी पेड़ लगाए जा सकते हैं।
- स्कीम का कार्यान्वयन उन्हीं राज्यों में किया जायेगा जिसमेंइमारती लकड़ी के परिवहन हेतु उदारीकृत परिवहन विनियमन हो और अन्य राज्यों में तभी लागू की जायेगी जब उनके द्वारा छूट अधिसूचित की जाती है। अभी तक 8 राज्यों में इस योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है।

13. चमन परियोजना: बागवानी आकलन और प्रबंधन जियोइन्फारमैटिक्स के प्रयोग पर सम्वितकार्यक्रम)चमन(इस कार्यक्रम का उद्देश्य "रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी" और "नमूना सर्वेक्षण पद्धति " का उपयोग कर बागवानीफसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के आकलन के लिए कार्यप्रणाली को विकसित और मज़बूत करना है। सितंबर, 2014 के दौरान शुरू; 3 साल में पूरा किया जाना है।

14. किसानों के लिए मोबाइल एप की शुरुआत:

किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल एप: **किसान सुविधा, पूसा कृषि, एग्री मार्केट, फसल बीमा और फसलकटाई प्रयोग** शुरु की गई है

15 . राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)एनएफएसएम/ (दलहन उत्पादन के लिए उठाए गए कदम:

- वर्ष 2013- तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत केवल तीन फसलें - चावल, गेंहू, दलहन शामिल थीI सरकार द्वारा इस मिशन के अंतर्गत सात फसलें- चावल, गेंहू, दलहन, जूट, गन्ना, कपास व मोटे अनाजशामिल किये जा चुके हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

16. 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन':

- देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धनके लिए एक नई पहल 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' की 500 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ शुरुआत की गई।
- इस मिशन के तहत 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है तथा सांड़ों के उन्नयन हेतु 35 पशु प्रक्षेत्र को अधिक धनदेकर आधुनिक बनाया गया है।

17. दूध उत्पादन में वर्ष 2012-14 की अपेक्षा वर्ष 2014-16 में वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत रही। 2015-16 में दुग्धउत्पादन में 6.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है।

18. डेयरी के लिए अलग से चार नई परियोजनाएं प्रारम्भ:

(a) **<u>पशुधन संजीवनी-नकुल स्वास्थ्य पत्र:</u>**

यह एक पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा जिसके तहत पशु स्वास्थ्य पत्र)नकुल स्वास्थ्य पत्र (साथ ही साथ पशु यूआईडीद्वारा पशुओ की पहचान और एक राष्ट्रीय डाटा बेस मे पशुओं की पहचान को शामिल करना इस योजना के हिस्साहोंगें।

 इस योजना के तहत 8.5करोड़ दुधारु पशुओं का पहचान की जाएगी और उनका डाटा इनाफ (IN APH) डाटाबेस मे अपलोड कर दिया जाएगा।

 यह पशु रोगो की राकथाम मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के व्यापार मे भीव्रद्धि होगी।

(b) **<u>उन्नत प्रजनन तकनीक</u>**:

 अस्सीस्टेड प्रजनन प्रौद्योगिकी के द्वारा मादा बोवाइन की संख्या में वृद्धि करना योजना का उद्देश्य है

 यह लिंग सोरटेड बोवाइन वीर्य के उयोग से देश मे किया जाएगा। यह तकनीक अभी केवल उन्नत डे यरी देशो मेही उपयोग मे लायी जाती है। इससे केवल मादा बछड़ियों का ही उत्पादन होगा।

 इस के अंतर्गत 50भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के केंद्र /इन विट्रो निषेचन) आईवीएफ़ (केंद्र भी खो ले जाएंगे।जिससे दुग्ध उत्पादन मे तेजी से व्रद्धि की जा सके।

(c) राष्ट्रीय बोवाइन जेनॉमिक केंद्र-देशी नस्लों के लिए:

 विकसित डेयरी देशों मे जेनॉमिक तकनीक का प्रयोग दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता मे वृद्धि के लिए कियाजाता है।

 देश मे देशी नस्लों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश राष्ट्रीय जीनोमिक केंद्र की स्थाप ना कीजाएगी।

 जेनॉमिक तकनीक के द्वारा कुछ ही वर्षो मे देशी नसलों को viable बनाया जा सकता है।

 जेनॉमिक केंद्र रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों पहचान मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए गा।

<u>(d) ई पशुधन हाट पोर्टल:</u>

- वर्तमान में देश मे उच्च गुणवत्ता-रोग मुक्त वाले जर्मप्लाज्म जैसे वीर्य; भ्रूण; बछड़े, बछड़ी और वयस्क पशुओका कोई भी प्रामाणिक बाजार नहीं है। अच्छी नस्ल के पशुओं की खरीद के लिए किसानो को बिचौलियों पर निर्भरहोना पड़ता है।
- पशुओं की नस्ल वार सूचना भी किसानो को उपलब्ध नहीं होती। जो की देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन मेमहत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

GENERAL STUDIES HINDI

 देश मे पहली बार राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन के अंतर्गत **ई पशुधन हाट पोर्टल स्थापित किया गयाहै।** यह पोर्टल देशी नस्लों के लिए प्रजनकों और किसानों को जोड़ने मे एक महतवापूर्ण भूमि का निभाएगा।

 इस पोर्टल के द्वारा किसानो को देशी नस्लों की नस्ल वार सूचना प्राप्त होगी। इससे किसान एवं प्रज नक देशीनस्ल की गाय एवं भैंसो को खरीद एवं बेच सकेंगे। देश मे उपलब्ध जर्मप्लाज्म की सारी सूचना पोर्टल पर अपलोडकर दी गयी है। जिससे किसान इसका तुरंत लाभ उठा सके। इस तरह का पोर्टल वि कसित डेयरी देशों मे भीउपलब्ध नहीं है।

 इस पोर्टल के द्वारा देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को एक नई दिशा मिलेगी। क्योकि वर्तमान मे किसाननोके पास कोई नस्ल वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

 पोर्टल के माध्यम से जानवरों की खरीद और बिक्री में बिचौलियों की कोई भागीदारी नहीं होगी। जर्म प्लाज्म केसभी रूपों में बिक्री और खरीद के लिए इस तरह का पोर्टल विकसित डेयरी देशों में भी उपल ब्ध नहीं है।

19 . मछली उत्पादन में वर्ष 2012-14 के दौरान 186.12 लाख टन का उत्पादन हुआ जबकि 2014-16 केदौरान 209.59 लाख टन का उत्पादन हुआ जो कि 12.61 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2015-16 में मछली उत्पादन मेंवार्षिक वृद्धि दर 6.21 प्रतिशत रही।

20 अंडा उत्पादन में 2014-15 के दौरान 78484 मिलियन अंडों का उत्पादन हुआ व 2015-16 में 82930मिलियन अंडों का उत्पादन हुआ जो कि 5.66 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष (2012-14) की अपेक्षा वर्ष (2014-16) मेंवृद्धि दर 10.99 प्रतिशत रही। अंडा उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिवर्ष 66 अंडे तक पहुंच गई है।

21.कृषि में युवाओं, छात्रों को आकर्षित करना व वैज्ञानिकों और किसानों के इंटरफेस को बढ़ावा देनेके लिए नई पहलें:

आर्या:

आर्या परियोजना में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कृषि के विभिन्न कृषि उद्यमों, स्थायी आय, समृद्ध सेवा क्षेत्र औरलाभकारी रोजगार के लिए सशक्त और आकर्षित किया जाएगा। यह परियोजना कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यमसे 25राज्यों के 25 जिलों में चलाई जा रही है।

फार्मर फस्ट:

फार्मर फस्ट का उद्देश्य किसान-
वैज्ञानिक इंटरफेस, प्रौद्योगिकी एकीकरण अनुप्रयोग और प्रतिक्रिया, साझेदारीऔर संस्थागत निर्माण त था पाठ्य सामग्री सम्भरण को समृद्ध करना है। यह किसान और वैज्ञानिक के मध्यसंबंध, क्षमता निर्माण, वैज्ञानिक अनुकूलन तथा अनुप्रयोग, ऑन साइट इनपुट प्रबंधन, संस्थागत निर्माण औरप्रतिक्रिया के लिए मंच प्रदान करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदके 100संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा 1 लाख कि सानों के साथ सीधे तौर पर कार्य करने के लक्ष्य के साथ शुरुआत कर दी गई है।

GENERAL STUDIES HINDI

स्टूडेंट रेडी:

वर्ष 2016-17 से अभ्येतावृत्ति के रूप में सभी छात्रों के लिए स्टूडेंट रेडी के दौरान 6 माह के लिए रू. 3000 प्रतिमाह मानदेय की शुरूआत जो पहले रू. 1000 प्रति माह थी। इसके अंग इस प्रकार हैं-

i. अनुभवजन्य अधिगम (ईएल)
ii. ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (आरएडब्ल्यूई)
iii. पौधा प्रशिक्षण/औद्योगिक जुड़ाव/प्रशिक्षण
iv. कौशल विकास प्रशिक्षण
v. छात्र परियोजना

मेरा गांव - मेरा गौरव योजना को गांव तक वैज्ञानिक कृषि की प्रभावी तथा व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने केलिए कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों को शामिल कर प्रारंभ किया गयाहै। इस उद्देश्य के लिए चार-
चार वैज्ञानिकों के 5,000 समूह एक वर्ष में 25,000 गांव से समपर्क करेंगे। अभी तक15,000 ग्रामों में कृ षिवैज्ञानिक सम्पर्क कर नयी तकनीकी जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं।

22. विशेष पहल:

 दो वर्ष में **चार नए आईसीएआर पुरस्कार** – आईसीएआर प्रशासनिक पुरस्कार, हलधर आर्गेनिक किसानपुरस्कार, पं० दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार व पं० दीनदयाल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार।

 पं० दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना – देश के 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में जैविक कृषि/ प्राकृतिक कृषि और गाय आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु प्रारम्भ की गयी है।

 देश के प्रथम कृषि मंत्री डा० राजेन्द्र प्रसाद की स्मृति में 3 दिसम्बर को **राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस** घोषित कियागया है।

 23 से 29 दिसम्बर तक सम्पूर्ण देश में श्री चौधरी चरण सिंह और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस केअवसर पर **जय किसान - जय विज्ञान सप्ताह** वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है।

Prelims:

1. **कोंकण 16 अभ्यास**

- भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी (Briten) के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 2016 संस्करण कोंकण 16 को मुंबई और गोवा में 05 से 16 दिसम्बर, 2016 तक आयोजित किया जाएगा।
- कोंकण अभ्यास का नाम भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के नाम पर रखा गया है, जिसे 2004 में संस्थापित किया गया था, तब से दोनों नौसेनाओं द्वारा इसकी बारी बारी से मेज़बानी की जाती है- और इसकी जटिलता, पैमाने और तीव्रता में लगातार वृद्धि हो रही है
- कोंकण 16, कोंकण श्रृंखला के तत्वावधान में समुद्री बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा, क्योंकि इससे दोनों नौसेनाएं एक दूसरे की योजना प्रक्रियाओं से परिचित होंगी और इससे तालमेल और अंतर परिचालनता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, मार्कोस और रॉयल मरीन की भागीदारी से इस अभ्यास में एक और आयाम जुड़ेगा, जिससे दोनों नौसेनाओं को समुद्री सुरक्षा परिचालनों के क्षेत्र में बातचीत करने और सहयोग करने का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होगा।
- वर्तमान संस्करण से भारत और ब्रिटेन के बीच मित्रता की मौजूदा स्थिति को और मजबूत बनाने और वैश्विक रूप से समुद्री सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

GENERAL STUDIES HINDI

2. **INS- सुमित्रा**

** आईएनएस की विदेश यात्राएं-:

- यह जहाज 4-7 नवंबर, 2016 तक सिडनी दौरे पर था, वहाँ से रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना के अंतरराष्ट्रीय नौसेना समीक्षा -2016 में प्रतिभागिता में भाग लेने पहुंचा और अब भारत की एक्ट'' नीति के अनुरूप और मित्र देशों में पहुंच के लिए भारतीय नौसेना का जहाज सुमित्रा ''ईस्ट6 दिसंबर, 2016 को डार्विन, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है।

आईएनएस -सुमित्रा के आस्ट्रेलिया दौरे के उद्देश्य--:

- ऑस्ट्रेलिया दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ कर दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाना है।।
- बंदरगाह में ठहरने के दौरान दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी समझ बढ़ाने के लिए आर ए एन)Royal Australian Navy) के साथ व्यावसायिक बातचीत और अंतर संचालनता बढ़ाने पर चर्चा सहित कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।
- इसके अतिरिक्त वरिष्ठ सरकारी और सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात, खेलकूद और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा बेहतर तरीकों को भी साझा किया जाएगा। इस जहाज की वापसी के समय आरएएन जहाजों के साथ पैसेज एक्सरसाइज भी की जाएगी। (पेसेक्स)

** INS- Sumitra, at a glance:--

- सुमित्रा स्वदेशी डिजाइन पर आधारित सरयू वर्ग का चौथा जहाज है।
- इस जहाज का निर्माण मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इंडिया ने किया है।
- वर्ष 2014 में कमीशन किए जाने के बाद से इस जहाज को कई अभियानों में तैनात किया गया। इनमें से सबसे उल्लेखनीय अभियान था 'ऑपरेशन राहत', जिसके जरिए 2015 में विभिन्न देशों के कई नागरिकों को युद्धग्रस्त यमन से बाहर निकाला गया था।
- The ship has a range of 6,500 nautical miles and is capable of embarking one Dhruv/ Chetak helicopter.

3. सातवां भारतमालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास-

- **Joint Exercise name** : ईकुवेरिन (EKUVERIN)
- **आयोजन स्थल:** मालदीव के लामु एटौल के कधढू में।
- यह अभ्यास भारतीय सेना एवं मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 14 दिवसीय प्लाटून स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन वार्षिक आधार पर किया जाता है।
- **उद्देश्य** पारस्परिकता बढ़ाने के विचार से जलस्थलचर एवं :दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंत - आतंकरोधी संचालनों पर विशेष जोर के साथ सैन्य प्रशिक्षण का संचालन करना/अराजकता है।
- इस अभ्यास का पिछला संस्करण भारत में केरल के त्रिवेन्द्रम में आयोजित किया गया था।

4. **जनजातीय आजीविका के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र**

किसकी भागीदारी से :

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी और राष्ट्रीय जनजातीय वित्त एवं विकास निगम)एनएसटीएफडीसी (के साथ भागीदारी से

क्यों राष्ट्रीय संसाधन केंद्र

जनजातियों के आजीविका से संबंधित मुद्दों पर गौर करने

कहाँ पर

भुवनेश्वर

उद्देश्य

GENERAL STUDIES HINDI

कार्यक्रम में कौशल के मौजूदा स्तर को ध्यान में रखते हुए स्थानीय संसाधनों की पहचान पर जोर रहेगा। कार्यक्रम से उक्त उद्देश्य के लिए कई सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत कोष का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय संसाधन केंद्र आजीविका मानचित्रण, कौशल अंतर विश्लेषण और नॉलेज हब के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, जहां जनजातीय उद्यमशीलता विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ आजीविका और उद्यमशीलता मॉडल उपलब्ध होंगे

5. इंडरा नेवी

- भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच सालाना द्विपक्षीय अभ्यास
- इंडरा नेवी-16 का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर परिचालन को बढ़ाना और आपसी समय व सामुद्रिक सुरक्षा परिचालन की प्रक्रियाएं विकसित करना है। इस अभ्यास की संभावनाओं में बंदरगाह के चरण में व्यापक संवाद और समुद्र में समुद्री परिचालन के दौरान विविध परिचालन गतिविधियां शामिल हैं।
- इंडरा नेवी भारत और रूसी नौसेनाओं के बीच हर साल होने वाली द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और यह दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों का प्रतीक है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, जिसे

होते हुए अब कई साल हो चुके हैं और संभावनाएं, परिचालन की जटिलताएं और भागीदारी का स्तर बढ़ता गया।

- इंडरा नेवी-16 अभ्यास से परस्पर भरोसा और अंतर परिचालन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा किया जाएगा। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सुरक्षा भागीदारी मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

6.भारतीय कौशल संस्थान

किसलिए : युवकों को अधिक रोजगार पाने योग्य एवं स्वनिर्भर बनने के लिए उन्हें अधिकार संपन्न बनाने तथा भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए

कहाँ पर : उत्तर प्रदेश के कानपुर में

किसकी साझेदारी में : सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साझेदारी में

Detail :

- यह संस्थान प्रशिक्षण के सिंगापुर मॉडल से प्रेरित है और यह देश के विभिन्न सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को अंगीकार करेगा।
- केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने ऐसे 6 संस्थान खोलने का निर्णय किया है।

7. राष्ट्रीय शिक्षु संवर्धन योजना

- इसके तहत विभिन्न उद्योगों के बीच कार्यनीतिक साझेदारियों का भी आयोजन किया जाएगा, जो अगले तीन वर्षों के दौरान लगभग 4 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी तथा उन्हें रोजगार देगी।
- यह संभावित कर्मचारियों एवं नियोक्ता के बीच की खाई को कम करने का एक प्रत्यक्ष तरीका है।
- इसके सफल कार्यान्वयन में राज्य सरकार की एक बड़ी भूमिका है।
- अभी केवल 23000 नीजि कंपनियां हैं, जो देश भर में प्रशिक्षुता से जुड़ी हुई है।
- केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)की कोशिश राज्य सरकार के समर्थन को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षु प्रशिक्षणों पर अधिक कंपनियों के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने की है।
- प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के तहत इसके मॉडल ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाया है। 2016-17 के लिए वित्तीय वर्ष लक्ष्य देश भर में कम से कम 5 लाख शिक्षुओं का नामांकन सुनिश्चित करने का है।

GENERAL STUDIES HINDI

8. पोस्को ई- बॉक्स को स्काच सिल्वर और स्काच आर्डर ऑफ मैरिट पुरस्कार-

क्या है पोस्को ई-:बॉक्स-

पोस्को)The Protection of Children from Sexual Offences) ई बॉक्स-, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग)NCPCR) द्वारा बाल यौन शोषण के शिकार बच्चों से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करने का एक अनूठा प्रयास है। यह प्रणाली शिकायतकर्ता की गोपनीयता बरकरार रखती है। एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत को एक दल द्वारा देखा जाता है जो यौन शोषण के शिकार बच्चे को परामर्श प्रदान करने के साथ कानूनी प्रक्रिया पालन करने संबंधी दिशा बॉक्स में एक लघु एनीमेशन-निर्देश प्रदान करता है। ई-फिल्म द्वारा यौन शोषण के शिकार बच्चों को सहायताहीन या दिग्भ्रमित और बुरा ना समझने जैसा बॉक्स के द्वारा चरणबद्ध रूप से आसानी से शिकायत दर्ज की-आश्वासन दिया जाता है। ईजा सकती है।

स्काच सिल्वर और स्काच आर्डर ऑफ मैरिट पुरस्कार-2016:--

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बॉक्स के लिए स्काच सिल-को पोस्को ई (एनसीपीसीआर)वर और स्काच आर्डर ऑफ मैरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- एनसीपीसीआर को यह पुरस्कार बाल यौन शोषण की शिकायत पंजीकृत करने के लिए इलेक्ट्रानिक ड्राप बॉक्स पोस्को ई बॉक्स विकसित करने में प्रौद्योगिकी के उपयोग करने-हेतु प्रदान किया गया है। - प्रतियोगिता में तीन हजार से अधिक प्रविष्टियां शामिल हुई और एनसीपीसीआर की परियोजना पोस्को ई बॉक्स को-30 सर्वोच्च प्रविष्टियों में से प्रथम चुना गया।
- यह अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रदान करता है।

** Other facts:- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में किए गए अध्ययन के अनुसार सर्वे किए गए बच्चों में से 53 प्रतिशत बच्चों ने अपने जीवनकाल में एक या अधिक बाल यौन शोषण का सामना किया था। अधिकतर मामलों में दोषी कोई पारिवारिक सदस्य निकट का रिश्तेदार या/ जानने वाला व्यक्ति था। इस प्रकार के मामलों में सामान्य तौर पर बाल यौन शोषण के शिकार बच्चे ऐसी घटनाओं को दर्ज नहीं कराते।

9. डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2016

भारत सरकार ने 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के अपने सिद्धांत के मद्देनजर महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'डिजिटल इंडि या' शुरू किया है।
इंडिया पोर्टल (http://india.gov.in) के दायरे के तहत नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने (एनआईसी) डिजिटल इंडिया पुरस्कारों का पहला संस्करण आयोजित कि या।

In which field:

देश भर में फैले सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों की ई साथ डिजिटल संबंधी नवाचार-गवर्नेंस पहलों के साथ-का मूल्यांकन विभिन्न श्रेणियों के तहत किया गया। हर श्रेणी में तीन पुरस्कार अर्थात प्लेटिनम, स्वर्ण एवं रजत पुरस्कार उन विजेताओं को प्रदान किये गये, जिनका चयन प्रत्येक श्रेणी में प्राप्त नामांकनों से किया गया था। इन श्रेणियों में अनुकरणीय ऑनलाइन सेवा, ओपन डाटा चैंपियन, सबसे अभिनव नागरिक भागीदारी, स्थानीय निकाय की उत्कृष्ट डिजिटल पहल, सर्वोत्तम मोबाइल एप, वेब रत्न - विभाग/मंत्रालय, वेब रत्न केन्द्र शासित प्रदेश/राज्य -, वेब रत्नजिला शामिल हैं।-

Awards:

- अनुकरणीय ऑनलाइन सेवा श्रेणी में उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़े व्यास वर्नीज - याकर ऑटोमेशन सिस्टम को प्लेटिनम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं, गुजरात के वाणिज्यिक कर विभाग के ई स्वर्ण :परमिट और पंजाब निवेश संवर्धन ब्यूरो के वन स्टॉप क्लीयरेंस सिस्टम क्रमश- एवं रजत पुरस्कार जीतने में सफल रहे हैं।
- ओपन डाटा चैंपियन श्रेणी में भारत के महापंजीयक कार्यालय ने प्लेटिनम पुरस्कार जीता है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय स्वर्ण पुरस्कार जीतने में सफल रहा है, जबकि राज्य सभा और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने रजत पुरस्कार प्राप्त किया है।
- सबसे अभिनव नागरिक भागीदारी के लिए माईगव (MyGov) ने प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़ी ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी एवं लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएएस) ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है, जबकि रजत पुरस्कार कोयंबटूर शहर नगर निगम को प्राप्त हुआ है। ज्यूरी च्वाइस सिंहस्थ कुंभ, उज्जैन की आईटी पहल को हासिल हुई।
- स्थानीय निकाय की उत्कृष्ट डिजिटल पहल श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार सूरत नगर निगम ने जीता। ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम और वेब एवं मोबाइल आधारित एकीकृत शिकायत संलेखन एवं समाधान ट्रैकिंग सिस्टम - मदुरै निगम को क्रमश: स्वर्ण एवं रजत पुरस्कार हासिल हुये हैं।
- सर्वोत्तम मोबाइल एप श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार सिटीजन कॉप मोबाइल एप छत्तीसगढ़ को हासिल हुआ। मिड-डे मील मोबाइल एप, हिमाचल प्रदेश ने स्वर्ण पुरस्कार जीता, जबकि रजत पुरस्कार विद्युत मंत्रालय के गर्व अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण एप को प्राप्त हुआ।

GENERAL STUDIES HINDI

- वेब रत्न - मंत्रालय/विभाग श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जीता, जबकि स्वर्ण एवं रजत पुरस्कार क्रमश: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को प्राप्त हुये।
- वेब रत्न - राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार राजस्थान ने जीता, जबकि तमिलनाडु और हरियाणा क्रमश: स्वर्ण एवं रजत पुरस्कार जीतने में सफल रहे। वेब रत्न - जिला श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार कलेक्ट्रेट, उत्तरी गोवा की वेबसाइट को प्राप्त हुआ है, जबकि जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की ई-गवर्नेंस अनुकूल वेबसाइट एवं पहलों को स्वर्ण पुरस्कार तथा उत्तराखण्ड के उधम सिंह नगर जिला प्रशासन की वेबसाइट को रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

10. भारत में दूसरी पीढ़ी की प्रथम एथेनॉल)Ethanol- C2H5OH) जैव-रिफाइनरी

- भारत में दूसरी पीढ़ी की प्रथम एथेनॉल जैव-रिफाइनरी की स्थापना बठिंडा) पंजाब (के तरखनवाला गांव में की जाएगी |
- लगभग 600 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इस रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी।
- केंद्र सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड)एचपीसीएल (यह परियोजना स्थापित कर रहा है।

Objective:--

- भारत सरकार कृषि अवशेषों से दूसरी पीढ़ी के ऐथनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, ताकि किसानों को मेहनताना के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध हो सके।
- इसके साथ ही बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना भी संभव हो सके। पेट्रोल में 10 फीसदी एथनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐथनॉल मिश्रित पेट्रोल) ईबीपी (कार्यक्रम को आवश्यक सहायता मुहैया कराना भी इसका उद्देश्य है।

11. प्रधानमंत्री 'चार धाम महामार्ग विकास परियोजना'

Objective of this project:-

इस परियोजना का उद्देश्य चार धाम तीर्थयात्रा केन्द्रों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार लाना है ताकि इन केंदों तक यात्रा और सुरक्षित, तेज व और सुविधाजनक हो सके। -

Project at a glance:- -

- चारधाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में कुल 1200 करोड़ रुपये की लागत से 900 किमी .के राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया जाना है।
- कुल 3000 करोङ रुपये की लागत वाली 17 परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और उनके निविदाएं जारी की जा चुकी है।
- राजमार्ग की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर होगी।
- राजमार्ग पर यातायात में सुगमता के लिए सुरंग, बायपास,पुल, सब-वे आदि होंगे।
- एक टीम को भूस्खलन वाले संवेदनशील क्षेत्र की पहचान करने के लिए लगाया जाएगा। ये टीम इन क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए यहां के डिजाइन को लेकर सुझाव देगी।। -
- चारधाम रूट के साथ-साथ विभिन्न सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यहां पार्किंग के लिए रिक्त स्थान और आपातकालीन निकास के लिए हेलीपैड भी बनाए जाएंगे।

12. अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण

लंबी दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 5-का डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के डॉ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल की परीक्षण क्षमता ने देश की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं की प्रतिरोधक क्षमता का स्तर बढ़ा है।

About Agni5:

- भारत की अन्तरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है।
- इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है।
- यह अत्याधुनिक तकनीक से बनी 17 मीटर लंबी और दो मीटर चौड़ी अग्नि५- मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस होकर 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है।
- ज़मीन से ज़मीन पर मार करने में सक्षम है यह .5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम
- यह मिसाइल नैविगेशन, गाइडेंस, वारहेड और इंजन के मामलों में नई तकनीक से लैस है.

Other variants:

- 700 किलोमीटर तक मार करने वाला अग्नि 1
- 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम अग्नि 2
- 2500 किलोमीटर कर मार करने वाला अग्नि 3
- 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले अग्नि 4

13. पोलावरम सिंचाई परियोजना)Polavaram Irrigation Projects)

खबरों में क्यों

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की मंत्री सुश्री उमा भारती ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडु को पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए नाबार्ड की तरफ से जारी 1981 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का चेक प्रदान किया।

** Polavaram Project at a glance:---

- पोलावरम परियोजना जो की इंदिरा सागर) पोलावरम (परियोजना के नाम से भी जानी जाती हैं वह 2.91 लाख हेक्टेयर के सिंचाई कमान क्षेत्र और 960 मेगा वाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाली एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है।
- इस परियोजना के तहत, विशाखापत्तनम शहर एवं अन्य क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति के रूप में कुल 23.44 सौ करोड़ घन फीट) टीएमसी (तथा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए औद्योगिक पानी की आपूर्ति का भी प्रावधान है।
- इस परियोजना में कृष्णा नदी बेसिन से 80 टीएमसी पानी सालाना, अंतर बेसिन हस्तांतरण की भी परिकल्पना की गई है।
- वित्त वर्ष 2010-11 के स्तर पर, इस परियोजना की वर्तमान लागत 16010.45 करोड़ रूपये है। इस परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) एआईबीपी (के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही हैं।।
- वर्ष 2014 में पोलावरम को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है

14. 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख नीतियाँ / उपलब्धियां

वर्ष 2016 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की ग तिविधियों के मुख्य बिंदु/ प्रगति/ उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- **नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईडीएचआई),** यह नवाचार को ब ढ़ावादेने के लिए खोज से लेकर सलाहकार स्तर तक नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी श्रृंखला के लिएएक कार्यक्रम है। डीएसटी द्वारा 90 करोड़ रुपये की लागत से आईआईटी, गांधीनगर में एक अनुसंधानपार्क की स्थापना की गई।
- विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (**एसईआरबी**) ने नई योजना अर्थात् विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंटरिसर्च फैकल्टी स्कीम शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टीको सहायक/विजिटिंग फैकल्टी के रूप में एक वर्ष में एक से तीन महीने की अवधि के लिए भारतीयसं स्थानों के साथ जोड़ना है

- **देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप,** भारत- बेल्जियम का संयुक्त उद्यम है, जिसे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोधसंस्थान (एरीज), नैनीताल द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।
- **सूर्य ज्योति :** फोटोवोल्टेइक इंटिग्रेटिड माइक्रो सोलर डोम एक सरल प्रौद्योगिकी विकसित की गई है ताकि जिनलोगों तक बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति नहीं होती है उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस उत्पाद को नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर उपकरण योजना केअंतर्गत सब्सिडी के लिए शामिल किया गया है। के बारे में बताया है।
- **पोर्टेबल वॉटर प्यूरिफिकेशन के लिए प्लाज्मा प्रणाली आधारित डाई इलेक्ट्रिक बेरियर डिस्चार्ज (डीबीडी)** : डीएसटी की जल प्रौद्योगिकी पहल (डब्ल्यूटीआई) के जरिये सीईईआरआई, पिलानी मेंशुद्धिकरण के लिए प्लाज्मा प्रणाली आधारित डाई इलेक्ट्रिक बेरियर डिस्चार्ज के लिए प्रौद्योगिकीविकसित की गई।
- **ब्रिक्स एसटीआई सहयोग**: ब्रिक्स देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के क्षेत्र मेंऔर सहयोग बढ़ाने के लिए 08 अक्तूबर, 2016 को जयपुर में चौथी ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी औरनवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
- थेम्स-गंगा साझेदारी और स्वच्छ तथा पेयजल के महत्व को पहचानते हुए डीएसटी और आरसी-यूके जलकी गुणवत्ता में सुधार करने और अपशिष्ट जल का दुबारा उपयोग करने लायक बनाने के लिएनया सहयोगात्मक कार्यक्रम शुरू करने पर सहमत।
- ब्रिटेन की रूदरफोर्ड अपलेंटन लेबोरेट्री (आरएएल) के साथ सहयोग : यह सहयोग नैनो साइंस और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने के वास्ते इसकी न्यूट्रॉन सुविधा का उपयोग करने के लिए किया गया है।
- **महिलाएं और विज्ञान** : डीएसटी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 'विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थायी समिति' का गठन किया है। महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को आधारभूत या अप्लाइड साइंस में शोध करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 227 परियोजनाओं की सिफारिश की गई।
- भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया पहल के संदर्भ में कक्षा छठी से दसवीं के स्कूली बच्चो के बीचनवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आईएनएसपीआईआरई पुरस्कार दोबारा शुरू किया गयाहै। इस योजना का नाम आईएनएसपीआईआरई पुरस्कार- एमएएनए रखा गया है

15. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम), निषेध और निवारणअधिनियम (, 2013 के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग निर्देश-द्वारा नए दिशा (डीओपीटी) :

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार मंत्रालयों/ विभागों और आंतरिक शिकायत समितियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना है :

(1) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में संक्षिप्त विवरण में प्राप्त होने वाले और निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या भी शामिल होगी। यह कॉलम सभी मंत्रालयों/ विभागों और प्राधिकारियों की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होगा।

(2) मामले की जांच 30 दिनों में और विशेष परिस्थितियों में शिकायत मिलने की तारीख के 90 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।

(3) मंत्रालयों विभागों को शिकायतकर्ता के बारे में यह नजर रखनी चाहिए कि उसे शिकायत करने / के कारण किसी भी तरह से प्रताड़ित न किया जा सके। अगर पीड़ित महिला को यह लगे कि उसकी शिकायत के कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसे अपना अपना प्रतिवेदन सचिव या संगठन के प्रमुख को भेजने का विकल्प भी दिया गया है। संबंधित अधिकारी को उसकी शिकायत का 15 दिनों के भीतर निपटान करना आवश्यक हो जाएगा।

(4) सभी मंत्रालयों/ विभागों को मासिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास भेजना आवश्यक होगा ताकि इस बारे में हुई प्रगति पर नजर रखी जा सके।

16. उज्ज्वला योजना

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.5 करोड़ कनेक्शनों का लक्ष्य 8 माह से भी कम अवधि के भीतर ही हासिल कर लिया गया है
- यह योजना अब 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है।
- सामाजिक के आंकड़ों के जरिए चिन्हित (एसईसीसी) आर्थिक जाति जनगणना-**बीपीएल परिवार की एक वयस्क महिला सदस्य को** डिपॉजिट मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है (जमानत राशि), जिसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रति कनेक्शन रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। 1600
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकता वाले राज्यों के रूप में राष्ट्रीय औसत से कम एलपीजी कवरेज वाले केंद्र शासित प्रदेशों/राज्यों 14, जम्मूकश्मीर-, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की पहचान की गई है।
- अधिकतम कनेक्शनों वाले शीर्ष) उत्तर प्रदेश :राज्य ये हैं 546 लाख(, पश्चिम बंगाल)19 लाख(, बिहार) 19 लाख(, मध्य प्रदेश)17 लाख) और राजस्थान (14 लाख । अब तक जारी किये गये कुल कनेक्शनों में लगभग(35 एसटी परिवारों की ही है।/फीसदी हिस्सा इन्हीं पांचों राज्यों का है। लाभार्थियों में बड़ी संख्या एससी 75 फीसदी कनेक्शन इन्हीं परिवारों को जारी किये जा रहे हैं।

GENERAL STUDIES HINDI